

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
 रामरूप वर्मा
 उनवान सरकर बनान श्री श्री गणेश २५/१२/२०२४
 53,88 व 188 RTA

नंबर
 अंक
 हुकम
 में जा

मुकदमा नं० १३/२०२४ निर्णय दि० २६/१२/२४
 जिले श्री संपुल खोलेदारी भूमी का वकासमा रिमिटेड
 खोलेदारों के मध्य ही सम्भावित है। विवादित भूमी
 का उद्घोषणा उपरांत अमल दरमद व pending
 विरासतन नामान्तरण कर के निश्चाराण पर्याप्त
 उपाय पड़ा वकासमा वाद जाने के लिये स्वतंत्र है।
 वनकी सं० ३ → ख. नं. 1287 सम्पूर्ण परिवर्दीगण का ठामे
 के कारण परिवर्दीगण स्थायी निषेधाज्ञा
 पाने के आधीमरी है - परिवर्दीगण
 परिवर्दी आधीमता न दौरान कहल स्थायी निषेधाज्ञा
 वाद के खारिज योग्य स्वयं स्वीकर किया है
 अतः further इस वनकी से विवेचना की
 आवश्यकता नहीं है।

आदेश

ग्राम वावनपाड़ा के खोले सं. 217 के ख. नं. 1287
 (9.15 बीघा) में वादीगण 1 व 2 दर हिस्सा १३ व
 वादीगण 3 व 4 दर हिस्सा १३ खोलेदार घोषित किया
 जाता है तथा ख. नं. 1287 में श्री श्री गणेश पुत्र
 मंद के वारिसान परिवर्दी सं. 1 व 2 के नाम
 पर १३ हिस्सा में से वादी सं. 1 व 2 का सम्पुल
 दर हिस्सा १३ व वादी सं. 3 व 4 का सम्पुल दर
 हिस्सा १३ का खोलेदार घोषित किया जाता है।
 आदेशानुसार डिप्टी जारी की जाकर, वलसीलदार
 की पालना हेतु वहीर जारी कर पडावली
 फंसल शुमार हो।

(Signature)
 (रामरूप वर्मा)
 जज
 26/12/24

नोट:- आदेश के अमल पाने के लिये ख. नं. 1287 में परिवर्दीगण
 1 व 2 दर हिस्सा १३ व वादीगण 3 व 4 दर हिस्सा
 १३ पडावली।

(Signature)
 उपसर्क लिपिगरी
 सिकतय जिला-पंजाब